N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT | P.S. (थाना): C.P.S Jaipur | Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0298 | Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 14/11/2025 16:11 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): मंगलवार | Date From (दिनांक से): 19/08/2025 | Date To (दिनांक तक): 19/08/2025

Time Period (समय अवधि): पहर | Time From (समय से): 12:50 बजे | Time To (समय तक): 17:20 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 14/11/2025 | Time (समय): 16:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 | Date & Time (दिनांक एवं समय) 14/11/2025 16:11:44 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-EAST, 110 किमी | Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABL

(b)Address(पता): POLICE THANA RAJGARH ALWAR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): | District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): VIJAY KUMAR MEENA

(b) Father's Name (पिता का नाम): VISHRAM MEENA

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1999 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	BAIRER, RAJGARH, RAJGARH(ALWAR), ALWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	BAIRER, RAJGARH, RAJGARH(ALWAR), ALWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	AJEET KUMAR SAIN		पिता:KHEM RAJ SAIN	1. GRAM AVM POST MASARI,KATHUMAR,ALWAR,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		12,00,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 12,00,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

हालात प्रकरण इस प्रकार से है कि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री विजय कुमार मीना पुत्र विश्राम मीना निवासी बैरेर ,पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर मोबाईल नम्बर [redacted] तथा सहपरिवादी श्री भागचंद बलाई पुत्र पप्पुराम बलाई उम्र 33 निवासी गांव बैरेर, पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर मोबाईल नम्बर [redacted] ने कार्यालय दिनांक 19.08.2025 को उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि सेवामें,श्रीमान अति.पुलिस अधीक्षक... जयपुर (ग्रामीण) विषयः- एसएचओ राजगढ श्री राजेश कुमार मीणा व कास्टेबल श्री अजित सैन को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकडाने बाबत महोदय,निवेदन है कि मैं विजय कुमार मीना .... विश्राम मीना निवासी ग्राम पोस्ट बैरेर तहसील रैन थाना राजगढ जि.अलवर का रहने वाला हूं दिनांक 18.09.2025 को समय 04.30 बजे मेरे भाई समय मीना का जो पार्सल डिलेवरी का काम करता है को कस्बा रैणी से एसएचओ राजगढ श्री राजेश कुमार और उसके साथ आए पुलिस वाले उठाकर ले गए व उसके साथ जो डिलेवरी का सामान था उसको कान्दौली बाईपास चौकी पर रखवा दिया और मेरे भाई को तबसे थाने में बंद कर रखा है उसके बाद मै और मेरा परिचित भागचन्द बलाई थाने गए तो एसएचओ ने कहा अगर तेरे भाई को छुडाना है तो कास्टेबल अजित से बात करनी है जब हम कास्टेबल अजित से मिले तो उसने बाला तेरा भाई समय ने साईबर फ्रॉड किया है और हमे कहा अपने भाई को मुकदमे से बचाना है तो 1.50 लाख रूपये ले आओ तो एसएचओ साहब आपके भाई को छोड देंगे अगर पैसे नही दोगे तो मुकदमा लगा देंगे मै एसएचओ साहब व अजित कास्टेबल को रिश्वत नहीं देना चाहता हुं उन्हे रिश्वत देते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हुं मेरी एसएचओ साहब व अजित कास्टबल से कोई रंजीस दुशमनी या पैसो का लेन देन नही है रिपोर्ट करता हु आवश्यक कानुनी कार्यवाही करे। एस.डी. विजय कुमार मीना प्रार्थी विजय कुमार मीना पुत्र विश्राम मीना निवासी बैरेर पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर मोबाईल नम्बर [redacted] एस.डी. भागचन्द बलाई,भागचन्द बलाई पुत्र श्री पप्पुराम बलाई निवासी बैरेर थाना राजगढ मोबाईन नम्बर [redacted] परिवादी श्री विजय कुमार मीना द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर श्री राजकुमार शर्मा पुलिस निरिक्षक को अग्रीम कारवाई करने के निर्देश दिए जिस पर पुलिस निरिक्षक ने परिवादी से मजीद दरियाफत की गई तो परिवादी श्री विजय कुमार मीना ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हुं तथा मेरे साथ आये हुये श्री भागचंद जी मेरे गांव के भूतपूर्व सरपंच है जिन्होनें मेरे कहे अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र अपने हाथ से लिखा है तथा मेरे भाई समय मीना को कल से पुलिस थाना राजगढ में बंद कर रखा है जिसको छुडवाने तथा किस जुर्म में बंद कर रखा है के बाबत पूछने के लिए मैं तथा मेरे साथ आये हुये श्री भागचंद जी पुलिस थाना राजगढ में गये थे जहां पर पदस्थापित एसएचओ श्री राजेश कुमार मीणा मिले जिसको मैने मेरे भाई को छुडवाने के बारे में कहा तो उन्होने कहा की अजित कानि. से मिल लो तब हम अजित कानि. से मिला जिसने मुझे धमकाया तथा कहा कि तेरे भाई ने बहुत साईबर फ्राड किये है यदि इसको छुडवाना चाहता है तो 1.50 लाख रूपये ले आओ तो एसएचओ साहब आपके भाई को छोड देगे नही तो मुकदमा लगा देगे। श्री भागचंद को कहा कि आप इनके साथ आये हो तों मैं तो आपको ही जानता हूँ आप यदि इसके भाई को फ्री करवाना चाहते हो तो आप 1.50लाख रूपये लेकर आ जाना मैं एसएचओ साहब से कह कर आपको फ्री करवा दूंगा एसएचओ मैं कहुंगा वो ही करेगा। मैं जब श्री अजित सेन कानि. से बात करने जाउगा तब मेरे साथ श्री भागचंद जी भी श्री अजित सेन कानि. से वार्ता करने जायेंगे क्योंकि श्री भागचंद श्री अजित कानि. का विश्वासपात्र आदमी है इस कारण श्री अजित कानि.श्री भागचंद के सामने ही रिश्वत राशि की मांग करेगा। श्री राजेश कुमार मीना व अजित कानि. से मेरी कोई उधारी व लेनदेन बकाया नहीं है और नाहि हमारी आपस में कोई रंजिश है। परिवादी श्री विजय कुमार मीना के हमराह आये हुए श्री भागचंद से मजीद दरयाफत की गई तो श्री भागचंद ने बताया कि मैं ग्राम बैरेर का भूतपूर्व सरपंच रहा हुं इस कारण किसी भी ग्रामीण को तथा जानने वाले को कोई समस्या आती है तों मैं उनकी मदद करता हुं मेरे साथ आये हुये श्री विजय कुमार के भाई को पुलिस थाना राजगढ में साइबर ठगी के नाम से कल से पुलिस थाना में बंद कर रखा है जब श्री विजय कुमार मेरे पास इस सम्बन्ध में आया और मुझे बताया कि मेरे भाई को थाने में कल से बैठा रखा है आप मेरी मदद करो क्योकि मैं थाने में भूतपूर्व सरंपच होने के नाते आता जाता रहता हुं इस कारण मैं श्री विजय कुमार की सहायता के लिए श्री विजय कुमार के भाई के पास पुलिस थाना राजगढ में गया था तब मेरी मुलाकात पुलिस थाने के एसएचओ श्री राजेश कुमार मीणा व श्री अजित सिंह कानि. से हुई तो उसने श्री विजय कुमार के सामने ही उसके भाई को छोडने के एवज में 1.50लाख रूपये की मांग की। श्री विजय कुमार कम पढा लिखा होने के कारण प्रार्थना पत्र नहीं लिख

सकता है इस कारण उसके कहे अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र मैने मेरी हस्तलिपी में लिखा है और मैने इस पर मेरे हस्ताक्षर भी किये है श्री राजेश कुमार मीना व अजित कानि. से मेरी कोई उधारी व लेनदेन बकाया नहीं है और नही हमारी आपस में कोई रंजिश है। श्री अजित कानि. व थानाधिकारी द्वारा श्री विजय कुमार के भाई श्री समय मीना को गलत तरीके से थाने में बंद कर छोडने के एवज में रिश्वत मांगी जा रही है। मैं श्री विजय कुमार के साथ श्री अजित सेन से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करने जाउगा। परिवादी एवं सहपरिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर अग्रिम कार्यवाही आरंभ की गई। तत्पश्चात उसी दिन श्री रणजीत सिंह कानि. 129 को कार्यालय से श्री विजय कुमार मीना और सहपरिवादी श्री भागचंद मीना से आपसी परिचय करवाया जाकर कार्यालय की आलमारी में से एक विभागीय डिजीटल वाईस रिकार्डर सोनी एवं एक नया माईक्रो एसडी 32 जीबी कार्ड मंगवाये जाकर और सहपरिवादी श्री भागचंद बलाई को विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू व बन्द करने की प्रक्रिया समझाई जाकर विभागीय डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर में एक नया माईक्रो एसडी कार्ड 32 जीबी डालकर उसे खाली होना सुनिश्चित कर विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर सहपरिवादी श्री भागचंद बलाई को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत की गई तथा श्री रणजीत सिंह कानि. 129 को मुनासिब हिदायत की गई वह परिवादी तथा सहपरिवादी के साथ जाकर रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करवायें। परिवादी श्री विजय कुमार मीना तथा सहपरिवादी श्री भागचंद को श्री रणजीत सिंह के साथ परिवादीगण की कार से रिश्वत मांग सत्यापन हेतु 01.45 पीएम पर रवाना किया गया। विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर की फर्द सुपुर्दगी पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 19.08.2025 समय 05.20 पीएम पर राजकुमार पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर श्री रणजीत कानि. के मोबाईल से फोन आया व रणजीत ने बताया की मै व परिवादीगण जयपुर से रवाना होकर राजगढ पुलिस थाने के पास पहुचें परिवादीगण आरोपी से वार्ता करने पुलिस थाना के अन्दर गए और मै उनके इन्तजार में मुकीम रहा कुछ समय बाद परिवादीगण मेरे पास आये व सहपरिवादी श्री भागचन्द ने मुझे डीवाईस सुपुर्द कर बताया की हम थाने के अन्दर गए है श्री अजित कुमार सैन कानि. से विजय कुमार के भाई को उठाने के सम्बन्ध में वार्ता हुई उसने परिवादी के भाई को छोडने के एवज में एसएचओ के लिए 1,20,000/-रूपये लेने के लिए सहमत हुआ है और पैसे कल लेगा जिस पर राजकुमार पुलिस निरीक्षक ने सहपरिवादी से भी वार्ता की तो परिवादी व सहपरिवादी ने भी रणजीत कानि के बातो की ताहीद की राजकुमार पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी,सहपरिवादी व कानि. रणजीत को गोपनीयता बनाये रखते हुये वही रूकने को कहा। दिनांक 20.08.2025 को समय 10.10 ए.एम. पर राजकुमार पुलिस निरीक्षक मय ट्रैप पार्टी सदस्य व पूर्व से तलवीदा स्वतंत्र गवाह श्री निर्मल पलसानिया,श्री गोविन्दनाथ व स्टाफ के श्री सुभाषचन्द्र उप निरीक्षक, श्री ओमप्रकाश हैड कानि. 133,श्री रिजवान अहमद हैडकानि. 131,श्री देवेन्द्र सिंह कानि. 68,श्री होशियार सिंह कानि. 80,श्री बन्नाराम कानि. 137,श्रीमति रजनी मकानि.127श्री अमित कुमार वरिष्ठ सहायक व श्री भगवती प्रसाद वरिष्ठ सहायक मय ट्रैप बॉक्स,लेपटोप,प्रिन्टर व डमी नोट सरकारी वाहन ट्रैवलर मिनी बस मय चालक कानि. श्री रोहिताश के व श्री सुनिल सिंहाग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वास्ते मार्गदर्शन हेतु कार्यवाही में जरिये सरकारी वाहन चालक श्री रमेश कुमार के कानि. रणजीत से हुई वार्ता के अनुसार कार्यालय,जयपुर से रवाना होकर माचेडी गांव के पास छर्रिन धाम पहुचें। जहां परिवादी श्री विजय कुमार व सहपरिवादी श्री भागचन्द्र व श्री रणजीत कानि उपस्थित मिले,रणजीत कानि. ने डिजीटल टैप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड राजकुमार पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया जिसमें मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड की थी। जिस पर मैने डिजीटल टैप रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड को चलाकर सुना गया तो रिश्वत वार्ता रिकार्ड होना पाई गयी व दिनांक 19.08.2025 को रणजीत कानि. व परिवादी द्वारा दौराने सत्यापन वार्ता बताई गई बातो की भी ताईद हुई। दिनांक 20.08.2025 समय 10.30 ए.एम. पर उपस्थित स्वतंत्र गवाहान श्री निर्मल पलसानिया (सहायक अभियन्ता) व श्री गोविन्दनाथ (हेल्पर) के समक्ष परिवादी श्री विजय कुमार मीना ने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के क्रम में आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि पेश करने की कहने पर परिवादी श्री विजय कुमार मीना ने अपने पास से पांच-पांच सौ रूपये के 160 नोट कुल 80,000/-रूपये प्रस्तुत किए व बताया की मैने आपको पूर्व में बता दिया था की मेरे पास 80,000/-रूपये की ही व्यवस्था है इस पर कार्यालय में मौजुद डमी नोट जो हमरा साथ लाए गए थे जिन पर मनोरंजन बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है डमी करन्सी के 500/-- रूपये जैसे दिखने वाले कुल 80नोट कुल राशि 40,000/-रूपये डमी करन्सी के नोटो पर रिश्वती राशि में प्रस्तुत किये गये नोटों के नम्बर फर्द में अंकित किया गया उक्त राशि भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 160नोट राशि 80,000/- तथा 500-500 रूपये (भारतीय मनोरजन बैंक) के 80 डमी नोट राशि 40,000/- उक्त डमी नोटो पर DUK 616850 लिखा हुआ है व कुल 1,20,000/- रिश्वत राशि के रूप में देने का निर्णय लिया गया। उक्त नोटों के नम्बर राजकुमार पुलिस निरीक्षक एवं उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटो के नम्बर उपरोक्तानुसार ही पाये गये। उपरोक्त रिश्वती राशि मुताबिक रिश्वत मांग सत्यापन वार्तानुसार संदिग्ध को सुपुर्द किये जाने है। उक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 160नोट कुल राशि 80,000/-रूपये व 500 रूपये जैसे दिखने वाले डमी करेंसी के कुल 80 नोट कुल राशि 40,000/-रूपये (डमी करेंसी) के नोटों पर पृथक-पृथक फिनोफ्थेलीन पाउडर लगवाने के लिए श्री भगवती प्रसाद आचार्य,वरिष्ठ सहायक से बैग में रखवाई गई फिनोलफथलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर सरकारी वाहन टेम्पो ट्रेवल्स के बोनट पर एक अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उपरोक्त प्रचलित भारतीय मुद्रा के पांच-पांच सौ रूपये के 160

नोट कुल राशि 80,000/-रूपये व 500 रूपये जैसे दिखने वाले डमी करेंसी के कुल 80 नोट कुल राशि 40,000/-रूपये (डमी करेंसी) के नोटों पर श्री भगवती प्रसाद आचार्य,वरिष्ठ सहायक से अच्छी तरह से फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। जिसमें पचास-पचास हजार रूपये की दो थैई व बीस हजार रूपये की एक थैई डमी नोटो सहित बनाई गई। उक्त थैईयों के दोनो तरफ रबड़ लगवाये गये। तत्पश्चात परिवादी के साथ आये सहपरिवादी सरपंच श्री भागचन्द की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री गोविन्दनाथ से लिवाई गई तो सहपरिवादी भागचन्द के पास 1500/-रूपये व मोबाईल मिला है जो सहपरिवादी के पास छोड़े गये। इसके अतिरिक्त सहपरिवादी भागचन्द के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पायी गई। उक्त रिश्वती राशि की थैईयों को सहपरिवादी श्री भागचन्द के पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जेब में श्री भगवती प्रसाद आचार्य,वरिष्ठ सहायक से फिनोलफ्थलीन पाउडर उक्त 1,20,000/-रूपये जिसमें 80,000/-- रूपये की भारतीय मुद्रा एवं 40,000/-रूपये के डमी नोट रखवाया गया। सहपरिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त पाउडर युक्त नोटो की थैईयों को आरोपी द्वारा मांगने पर ही उसको रिश्वत के रूप में देवें उससे पूर्व इन थैईयों को हाथ नहीं लगावे तथा किसी भी सूरत में आरोपी से हाथ नहीं मिलावें, केवल हाथ जोड़कर ही अभिवादन करें तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के बाद सहपरिवादी को अपने सिर पर हाथ फेरकर या परिस्थिति अनुसार अपने मोबाईल नम्बर से राजकुमार पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नं0 [redacted] पर मिस कॉल कर ट्रेप पार्टी को निर्धारित ईशारा करे। सहपरिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि आरोपी रिश्वती राशि लेकर कहां रखता है इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखे तथा स्वतंत्र गवाहान को हिदायत दी गई कि वह सहपरिवादी के आसपास रहकर सहपरिवादी व आरोपी के बीच होने वाली आपसी रिश्वत लेन-देन की कार्यवाही एवं वार्ता को सुनने व रिश्वती राशि के लेन देन को देखने का प्रयास करें। इसके बाद स्वतंत्र गवाहान व सहपरिवादी भागचन्द को फिनोल्पथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट की आपसी रासायनिक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से दृष्टान्त देकर समझाने के लिए ट्रेप बाक्स मे रखे प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर उपस्थितगणों को दिखाया गया घोल का रंग रंगहीन रहा,उसके बाद श्री भगवती प्रसाद आचार्य,वरिष्ठ सहायक के हाथों की अंगुलियों को उक्त सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गयाजिसके बारे मे उपस्थित गवाहान,सहपरिवादी व परिवादी को समझाया गया कि जो भी इन पाउडर लगे नोटों की थैई को हाथ लगायेगा जिसके हाथ इस प्रक्रिया के अनुसार धुलवाने से पानी का रंग गुलाबी हो जावेगा। तत्पश्चात उस अखबार को जिस पर रखकर नोटों व अखबार पर फिनोलपथलीन पाउडर लगवाया था,को जलवाकर नष्ट करवाया गया। श्री भगवती प्रसाद आचार्य,वरिष्ठ सहायक से गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर फिनोल्पथलीन पाउडर की शीशी को वापस बैग मे रखवाया जाकर श्री भगवती प्रसाद आचार्य के हाथों को तथा गिलास को साबुन व पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सदस्यों व गवाहान की एक दूसरे से तलाशी लिवाये जाने पर किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु या दस्तावेज आदि नहीं छोडे गये । राजकुमार पुलिस निरीक्षक ने स्वयं अपनी एवं स्वतंत्र गवाहान व सहपरिवादी तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथों को साबुन व पानी से धोकर साफ किया। सभी को मुनासिब हिदायत दी सहपरिवादी भागचन्द को डिजीटल वाईस रिकार्डर मय पूर्व से काम लिया जा रहा है माइक्रो एसडी कार्ड लगाकर सुपूर्द किया गया। ट्रेप कार्यवाही हेतु साथ ले जाने वाली कांच की शिशीयों व उनके ढक्कनो को भी अच्छी तरह धोकर साफ करवाने के बाद सुखाकर ट्रेप बॉक्स में रखा गया। श्री भगवती प्रसाद वरिष्ठ सहायक को मुनासिब हिदायत देकर छोड़ा गया।तत्पश्चात राजकुमार पुलिस निरीक्षक मय हमराईयान दोनो स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो स्टाफ व श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय सरकारी वाहनो के व परिवादी,सहपरिवादी व श्री रणजीत कानि. परिवादी के वाहन से राजगढ थाने के पास पहुच वाहनो को साईड में रूकवाया परिवादी,सहपरिवादी को उसके वाहन से पुलिस थाना राजगढ में संदिग्ध आरोपी श्री अजित कानि के पास रिश्वती राशि देने रवाना किया उसके पीछे-पीछे ओमप्रकाश हैडकानि. व देवेन्द्र सिंह कानि.,होशियार सिंह कानि. को रवाना किया व शेष ट्रैप पार्टी सदस्य अपनी-अपनी उपस्थिती छुपाते हुए मुर्कर ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुए।कुछ देर पश्चात परिवादीगण अपने वाहन से बिना इशारा किये ही राजकुमार पुलिस निरीक्षक के पास पहुचे और सहपरिवादी ने बताया की मै थाने के पास पहुच कर अजित कानि को फोन किया की उसने कहा मै खाना खा रहा हु 05 मिनट मे आ रहा हु उसके बाद आया और मुझसे कहां की उस विजय को क्यु लेकर आये हो उसके बाद वह पुलिस की गाडी मे बैठकर थाने से बहार चला गया। समय 01.52 पी.एम. पर सहपरिवादी ने अपने मोबाईल से आरोपी अजित कुमार कानि को वाटसअप कॉल किया तो उसने बताया की मै अभी मिटींग में हुँ मिटींग चल रही है तो परिवादी ने कहा पैसे का क्या करना है तो आरोपी ने कहा की पैसे अपने पास रखो तो सहपरिवादी ने कहा की में मेरे ससुराल जा रहा हु तो आरोपी ने कहा की आप जाओ और पैसे अपने पास ही रखो। समय 04.26 पी.एम. पर आरोपी श्री अजित कुमार ने वाटसअप पर मैसेज भेजा लिखा ओके भाई फिर उसके बाद सहपरिवादी ने अपने मोबाईल से आरोपी अजित कुमार कानि को वाटसअप कॉल किया तो उसने कहा की मै मिटींग चल रही है साहब ने कहा की पैसे अपने पास ही रखो थोडी देर में मै इनके फिंगर प्रिन्ट लेकर छोड रहा हुँ सारा सामान दिला रहा हु चितौड वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी। समय 05.54 पी.एम. पर सहपरिवादी ने अपने मोबाईल से आरोपी राजेश कुमार मीणा,थानाधिकारी,पुलिस थाना राजगढ को वाटसअप कॉल किया तो उसने बताया की मै अभी उन दोनो लडको को 10 मिनट में फ्री कर रहा हुँ तब सहपरिवादी ने कहा कि कानि. अजीत ने 1,20,000/-रूपये के लिये कहा है। जिसमें एक लाख रूपये आपके व 20 हजार खुद

लेने के लिये कहा है। तो एस.एच.ओ. ने थोडा सोचकर व रूककर कहा नहीजिस पर परिवादी ने कहा मुझे पैसो का क्या करना है क्या मै उन्हे वापस कर दॅू,इस पर थानाधिकारी ने कहा हावापिस कर दो। समय 06.02 पी.एम. पर आरोपी श्री अजीत,कानि. ने अपने मोबाईल से सहपरिवादी के मोबाईल से वाटसअप कॉल किया और कहा की साहब ने मुझे कहा है कि सरपंच तो आपके विश्वास का आदमी बता रहे थे। वो मुझे फोन करके कह रहा है कि पैसे वापस कर दु क्या। इस पर संदिग्ध आरोपी अजीत कानि. कहता है कि ए0से थौडे होता है पैसे भी ले रहा है और मोबाईल भी जब्त करने की कह रहा है। कॉल के अंत में अजीत कानि. कहता है कि जब तुम कॉल कर रहे थे तब हम तीनो साथ ही बैठे थे। समय 06.26 पी.एम. पर आरोपी श्री अजीत कानि. ने अपने मोबाईल से सहपरिवादी के मोबाईल से वाटसअप कॉल किया और कहा की साहब से बात कर तो एस.एच.ओ ने सहपरिवादी से कहा हमें पैसे नही चाहिये एक काम कर दो वो चोरी की मोटर साईकिल जब्त करवा दो और कहा पैसे नही चाहिये। समय 06.32 पी.एम. पर आरोपी श्री अजीत कानि. ने अपने मोबाईल से सहपरिवादी के मोबाईल से वाटसअप कॉल किया और कहा की इनके पैसे वापस कर दो इन लकडो को हम वैसे ही छोड रहे है। फिर दुबारा सहपरिवादी ने दुबारा पैसे की बात की तो आरोपी ने कहा वो तेरे पास रख ले 2-4 दिन बाद देखते है। समय 07.00 पी.एम. पर रात्रि का समय होने के कारण आज ट्रेप कार्यवाही करना उचित प्रतीत नही होता है। आरोपी को दी जाने वाली ट्रेप राशि सहपरिवादी की जेब से निकलवाकर स्वतंत्र गवाह श्री गोविन्दनाथ से निकलवाकर एक लिफाफे में रखवाई गई। उसके बाद परिवादी व सहपरिवादी और रणजीत,कानि. को डिजिटल वाईस रिकार्डर देकर वही छोडा गया। दिनांक 21.08.2025 को राजकुमार पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान कार्यालय से रवाना होकर समय 04.55 पी.एम. पर राजगढ पहूँचा तो राजकुमार पुलिस निरीक्षक को सहपरिवादी भागचंद ने बताया कि मेरे पास मेरे परिचित का फोन आया है ओर कहा है कि तु कल से एसीबी को साथ लेकर घूम रहा है ये अच्छी बात नही है जिस पर राजकुमार पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व सहपरिवादी से ट्रेप कार्यवाही करवाने के बारे मे पूछा तो उन्होने कहा कि अब अजित कानि. पैसे नही लेगा क्योंकि उसको अब पता लग चुका है इसलिये अब ट्रेप की कार्यवाही सम्भव नही है। जिस पर राजकुमार पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्य दोनो स्वतंत्र गवाह दोनो परिवादीगणो को साथ लेता हुआ परिवादी की प्राईवेट वाहन व दोनो सरकारी वाहनो से बसवा रोड से एसीबी मुख्यालय के लिये रवाना हुआ। हालात उच्चाअधिकारियो को निवेदन किये गये। तत्पश्चात राजकुमार पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्य मय स्वतंत्र गवाह व परिवादीगणो को हमराह साथ रवाना होकर एसीबी मुख्यालय उपस्थित आया व ट्रेप कार्यवाही मे दौराने मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.08.2025 व दिनांक 20.08.2025 को आरोपी श्री अजित कुमार कानि. पुलिस थाना राजगढ व एसएचओ राजेश कुमार मीणा से परिवादी विजय कुमार व सहपरिवादी भागचंद के मध्य हुई वार्ताओ को सह परिवादी द्वारा रिकार्डिंग वार्ताओ को विभागीय डिजीटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड मे रिकार्ड किया गया था कि फर्द ट्रान्सक्रिप्ट तैयार करने की कार्यवाही शुरू की गई। मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.08.2025 एवं लेनदेन वार्ता दिनांक 20.08.2025 को परिवादी श्री विजय कुमार मीना व सहपरिवादी श्री भागचन्द, संदिग्ध आरोपी श्री राजेश,थानाधिकारी व संदिग्ध आरोपी श्री अजीत के मध्य हुई वार्ता में परिवादी श्री विजय कुमार मीना व सहपरिवादी श्री भागचन्द ने अपनी व संदिग्ध आरोपीयों की आवाज की पहचान की है उक्त रूपान्तरण तैयार करने के बाद रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 19.08.2025 को परिवादी श्री विजय कुमार मीना एवं सहपरिवादी श्री भागचंद बलाई तथा संदिग्ध आरोपी श्री अजीत सेन कानि. पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर के मध्य हुई आमने सामने वार्ता तथा रिश्वत लेन-देन से पूर्व दिनांक 20.08.2025 को संदिग्ध आरोपी श्री अजीत सेन कानि. व सहपरिवादी श्री भागचंद बलाई के मध्य हुई आमने सामने हुई वार्ता तथा इसके पश्चात दिनांक 20.08.2025 को संदिग्ध आरोपी श्री अजीत सेन कानि. व सहपरिवादी श्री भागचंद बलाई के मध्य व्हाटसअप काल पर हुई वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकार्डर की इनबिल्ट मैमोरी तथा डिजिटल वाईस रिकार्डरमें लगे मैमे◌ारी कार्ड में रिकार्ड हुई है। उक्त वार्ताओं की वाईस क्लिप को बारी-बारी से सुन सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने के पश्चात् विभागीय डिजिटल वाईस रिकार्डर को विभागीय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त रिकार्ड वार्ता की वाईस क्लिप को बारी-बारी से पांच अलग-अलग पेनड्राईव SEND TO आप्शन SEND से किया गया। वॉईस क्लिप पेनड्राईवमें रिकार्ड/सेव होना सुनिश्चित किया जाकर पांच पेनड्राईव पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा अलग-अलग पेनड्राईव मार्कA-1, A-2 मार्क A-3, A-4 (मुलजिम कॉपी),A-5(आईओ कॉपी) क्रमशः अंकित किये गये। उक्त पेनड्राईव में से चार पेनड्राईव A-1, A-2 मार्क A-3, A-4 (मुलजिम कॉपी),को उनके ही कवर में रखकर अलग-अलग कपडे की थैलियों में रखकर सील मोहर की गयी। पैकेटों पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये व पेनड्राईव अनुसार कपडे के पैकेटों पर मार्क अंकित किये गये। पेनड्राईव मार्क A-1, A-2 मार्कA-3, A-4 (मुलजिम कॉपी),को सुरक्षित रखा गया। पेनड्राईव मार्क A-5(आईओ कॉपी) अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान के प्रयोजनार्थ खुली पत्रावली के संलग्न रखी गयी। डिजीटल वाईस रिकार्डर में लगे माइक्रो एसडी sandisk 32GB कार्ड को निकालकर एक कागज के लिफाफे में रखकर कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर पैकेट को SDमार्का अंकित किया गया एवं सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उपरोक्त टै◌ेप कार्यवाही में प्रयोग में लाये गये डिजीटल वायस रिकार्डर मेक सोनी जिसकी इन बिल्ट मैंमोरी मे टै◌ेप कार्यवाही से सम्बन्धित वार्ता रिकार्ड हुई है को एक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर पैकेट को Dमार्का अंकित किया गया एवं सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। उक्त ट्रांस्क्रिप्ट मेरे निर्देशन में टै◌ेप कार्यवाही में

विभागीय डिजीटल वायस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता को सुन-सुन कर शब्द-ब-शब्द श्री रणजीत कानि0 129 द्वारा टाईप करवायी गयी तथा पेनड्राईव मार्क मार्क A-1, A-2 मार्क A-3, A-4 (मुलजिम कॉपी), A-5(आईओ कॉपी) में SEND TO आप्शन सेSEND किया गया तथा उनमें किसी भी प्रकार की छेड्छाड एंव कांट छांट नही की गई है। उक्त रिकार्ड वार्ता से सम्बन्धित मैमोरी कार्ड व राईट/बर्न की गई पेनड्राईव की हैश वैल्यू निकालवाई जाकर शामिल पत्रावली की गई। उक्त वार्ताओ मे आरोपी अजित कुमार कानि. व एसएचओ राजेश कुमार मीणा एवं सहपरिवादी श्री भागचंद के मध्य वॉट्सएप पर हुई कॉलिग की स्क्रीनशॉटो का प्रिन्ट निकलवाया जाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किये गये। उक्त वार्ताओ की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई।स्वतंत्र गवाहान के समक्ष चलाकर नियमानुसार फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गयी तो रिश्वत मांग सत्यापन को सुनने पर पाया गया कि दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के संदिग्ध आरोपी श्री अजीत कानि,पुलिस थाना राजगढ,जिला अलवर को सहपरिवादी कहता है कि अब मै विश्वास मे लेके आया हूँ मेरे संग जो भी बात हैइस कानि. अजीत कहता है कि है ना अब सुन ले मेरी बात मैने वहां चित्तोडगढ अ० हवाले इनकी चीज बता देयू ...... (गाली) के कल को तुम यू कहे मैने वही वहा साईबर वालो से बात करी सीआई साहब से बात करी। साहब तो कह रहे है वही देख मुकदमा तो हम भी करे तुमने साईबर फ्रोड किया है वही फ्रोड तो तुम बाहर ही करते हो मुकदमा करना तो हमरा काम है ऑनलाईन मैने देख तेरी साईबर सैल मे बात कर लई ये देख डिटेल भेज दई वाही इनकी साईबर सैल अलवर लाकेश को भेज दी। यहां के० ठीक है ना और फिर मैने साहब ते कहो है साहब ने तो वही हा रही है। उसके बाद सहपरिवादी कहता है कि साहब ने काई कही। इस पर आरोपी कहता है कि साहब ने तो साहब तो मै कहूँगा जो करेगे यार सीधी सी बात और तुम उस पार्टी का जो पैमेन्ट है पहले तो ये बता वो 88 हजार रूपया देख हममे विश्वास इसने फ्रोड। वार्ता में आगे सहपरिवादी भागचन्द कहता है कि ये तेरी बात है तु एस.एच.ओ. साहब से कर ले एक लाख की कहेगा मै एक लाख बीस हजार रूपया मै तोकुइस पर कानि. अजीत कहता है कि ठीक मै करता हूँ। तब सहपरिवादी कहता है कि 1 लाख 20 हजार ठीक हैतो कानि. अजीत कहता है कि ठीक है मै साहब से बात करता हूँ।इस प्रकार रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रास्क्रिप्ट तथा रिकार्ड वार्ता से पाया गया कि दिनांक 18.08.2025 को समय 04.30 बजे परिवादी के भाई समय मीना का जो पार्सल डिलेवरी का काम करता है को कस्बा रैणी से एसएचओ राजगढ श्री राजेश कुमार और उसके साथ आए पुलिस वाले उठाकर ले गए व उसके साथ जो डिलेवरी का सामान था उसको कान्दौली बाईपास चौकी पर रखवा दिया और उसके भाई को तब से थाने में बंद कर रखा उसके बाद परिवादी व सहपरिवादी भागचन्द बलाई थाने गए तो एसएचओ राजेश कुमार मीणा ने कहा अगर तेरे भाई को छुडाना है तो कास्टेबल अजित से बात करो। जब परिवादी व सहपरिवादी कास्टेबल अजित से मिले तो उसने बालो तेरा भाई समय ने साईबर फ्रॉड किया है और हमे कहा अपने भाई को मुकदमे से बचाना है तो 1.50 लाख रूपये ले आओ तो एसएचओ साहब आपके भाई को छोड देंगे अगर पैसे नही दोगे तो मुकदमा लगा देंगे। आरोपी कानि. अजीत कुमार सैन द्वारा मांग सत्यापन में परिवादी के भाई को छोडने की एवज में 1,50,000/-रूपये के क्रम में 1,20,000/-रूपये रिश्वत लेने पर सहमति जताई है। परिवादी द्वारा आरोपी राजेश कुमार मीणा,पुलिस निरीक्षक,पुलिस थाना राजगढ से जरिये वॉटसअप कॉल बात करने पर आरोपी पुलिस निरीक्षक द्वारा कहा जाता है कि दोनो को मै दस मिनट में फ्री कर रहा हूँ। अर्थात संदिग्ध आरोपी पुलिस निरीक्षक को परिवादी के भाई समय मीना के पुलिस हिरासत मे होने व अरोपी अजीत कानि. द्वारा परिवादी से 1,20,000/-रूपये रिश्वत की मांग किये जाने का पूर्ण ज्ञान है। सहपरिवादी द्वारा वार्ता में आगे रिश्वत के 1,20,000/-रूपये की बात कहने पर संदिग्ध आरोपी राजेश कुमार मीणा द्वारा थोडा रूककर सोच समझकर नहीकहा गया है। जब सहपरिवादी द्वारा रिश्वत राशि को परिवादी विजय कुमार मीणा को वापस दिये जाने के संबंध में कहा जाता है तो आरोपी पुलिस निरीक्षक द्वारा हाँ वापस कर दोकहा जाता है। इस कॉल के तुरंत पश्चात आरोपी कानि. अजीत द्वारा सहपरिवादी भागचन्द बलाई को वॉटसअप कॉल कर कहा जाता है कि इंचार्ज साहब कह रहे है कि तु तो कह रहा था सरपंच तेरा विश्वास का आदमी है वह तो मुझे ही सीधे पैसे लौटाने की बात कर रहा हैजिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि पुरे मामले में एसएचओ की अजीत कानि. से संलिप्तता प्रकट होती है। उक्त ट्रेप कार्यवाही में श्री राजेश कुमार मीणा,थानाधिकारी राजगढ जिला अलवर की भूमिका संदिग्ध है जो विस्तृत अनुसंधान से उजागर होगी।अतः अब तक की कार्यवाही,फर्द ट्रांसकिप्ट एवं उपलब्ध साक्ष्यों से पाया गया है कि परिवादी के भाई श्री समय मीना को दिनांक 18.08.2025 को पुलिस थाना राजगढ़ जिला अलवर में पुलिस हिरासत में लिया जाकर उसे साईबर फ्रॅ०ाड के मामले में आरोपी नही बनाने और हिरासत से छोडने की एवज में आरोपी कानि. अजीत द्वारा रिश्वत की मांग की गई। दिनांक 20.08.2025 को टैªप कार्यवाही का आयोजन किये जाने पर संदेह होने पर सहपरिवादी से रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की। इस प्रकार आरोपी अजीत कुमार सैन पुत्र श्री खेमराज सैन जाति नाई उम्र 35 वर्ष,निवासी ग्राम व पोस्ट मसारी तहसील कठुमर जिला अलवर हाल कानि.2048 पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) के तहत अपराध की श्रेणी में आने पर उक्त आरोपी अजीत कुमार कानि. के विरूद्व उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार कर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।(सुनील सिहाग) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर ग्रामीण,जयपुर............ कार्यवाही पुलिस............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुनील

सिहाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण,जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी 1. श्री अजीत कुमार सैन पुत्र श्री खेमराज सैन जाति नाई उम्र 35 साल निवासी ग्राम व पोस्ट ममारी तहसील कठुमर जिला अलवर हाल कानि. 2048 पुलिस थाना राजगढ जिला अलवर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचा आम 270 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 1691-94 दिनांक 14.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर, 2.पुलिस अधीक्षक जिला अलवर, 3. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर-प्रथम, 4.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण जयपुर । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Mahendra Kumar Meena **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 14/11/2025

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1991				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)